स्वघोषणा–प्रपत्र

क्र0 सं0	क. विद्यालय–विवरण	
1	विद्यालय का नाम	क्रेसेंट पब्लिक स्कूल
2	शैक्षणि सत्र	अप्रैल–मार्च
3	जिला का नाम	किशनगंज
4	पत्राचार का पता	सी0 पी0 एस0 रोड, सर सैयद नगर
5	गाँव/नगर	किशनगंज
6	प्रखंड	किशनगंज
7	पिन कोड	855107
8	दुरभाष सं0 एस.टी.डी. कोड के साथ	06456–222153
9	वाट्स एप न0	8700125662, 8002704142, 8210330756
10	ई–मेल पता	shahid.cps@gmail.com
11	नजदीकी पुलिस स्टेशन	किशनगंज

क्र0 सं0	ख. सामान्य सूचनाएँ			
1	स्थापना का वर्ष			1992
2	पहली बार विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि			1st Jan. 1992
3	ट्रस्ट/सोसाईटी/प्रबंधन समिति का नाम			क्रेसेंट एजूकेशन एण्ड वेल्फेयर ट्रस्ट
4	क्या ट्रस्ट/सोसाईटी/प्रबंधन समिति निबंधित है ?			हाँ
5	क्या ट्रस्ट/सोसाईटी/प्रबंधन समिति के निबंधन की वैधता अवधि			आजीवन
6	क्या ट्रस्ट/सोसाईटी/प्रबंधन समिति के निबंधित के गैर मालिकाना एवं अलाभकारी स्वरूप की संपुष्टि हेतु सदस्यों की सूची पता के साथ सपथ पत्र के रूप में संलग्न है ?			हाँ
7	विद्यालय के चेयरमैन/प्रेसीडेन्ट/मैनेजर के कार्यालय का पता			855107
	नाम			मो0 शमीम अखतर
	पद नाम			मैनेजर
	पता			सर सैयद नगर, किशनगंज
	दुरभाष		कार्यालय :	06456–222153
			आवास :	9470851354
8	अंतिम तीन वर्षों के कुल आय एवं व्यय (बचत/घाटा)			
	वर्ष	आय	व्यय	
	2016 – 2017	3042146.00	2659694.00	
	2017 – 2018	4428851.00	4193637.00	
	2018 – 2019	5230514.00	5107647.00	

क्र0 सं0	ग. विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र	
1	शिक्षण का माध्यम	English
2	विद्यालय का प्रकार (प्रवेश एवं निकास की कक्षाएँ अंकित करें)	Secondary School (I-X)
3	यदि सहायता प्राप्त है, तो सहायता प्रदत्त करने वाली एजेंसी का नाम एवं सहायता का प्रतिशत	No
4	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है ?	Yes
5	यदि हाँ, तो किस प्राधिकार द्वारा निबंधित है ? निबंधित सं0	CBSE, New Delhi, No. 330281
6	क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या किसी किराया के भवन में संचालित है ?	Owned
7	क्या विद्यालय का भवन/अन्य आधारभूत संरचनाएँ/मैदान केवल शिक्षा और कौशल के विकास के लिए व्यवहृत की जाती है ?	Yes
8	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	1, 13, 256 Sq.ft
9	विद्यालय के क्षेत्र (परिसर) में क्या-क्या सुविधाएँ/संरचनाएँ हैं ?	All the structures with All the facilities

क्र0 सं0	घ. नामांकन स्थति		
वर्ग		सेक्सन की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1	1–5	09	290
2	6–8	06	249
3	9–10	07	407

क्र0 सं0	च. आधारभूत संरचना का व्योरा एवं स्वच्छता की स्थिति		
कक्ष		संख्या	औसत आकार
1	वर्ग कक्ष	25	30 ft. x 20 ft.
2	कार्यालय कक्ष सह–भंडार कक्ष सह–प्रधानाध्यापक कक्ष	10	Miscellaneous size (Library, Science Lab, Math Lab, Computer Lab, Mini Auditorium, Confrence Hall, Staff Room & Reception)
3	रसोई घर सह भंडार		

क्र0 सं0	छ. अन्य सुविधाएँ	
1	क्या सभी सुविधाएँ अवरोध रहित पहुंच के अन्तर्गत है	Yes
2	शिक्षण अधिगम सामग्री (सूची संलग्न करें)	Yes
3	खेल कूद सामग्री सूची संलग्न करें	Yes
4	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा पुस्तक की संख्या पत्रिकाएँ/समाचार पत्र	Yes 3500 Yes
5	पेयजल सुविधा के प्रकार एवं संख्या	RO Type - संख्या 20
6	स्वच्छता की स्थिति 1. W.C और मुत्रालय का प्रकार 2. बालकों के लिए अलग मुत्रालय एवं शौचालय की संख्या 3. बालिकाओं के लिए अलग मुत्रालय एवं शौचालय की संख्या	 Indian Style 16 10

झ. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या

1. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का विवरण, जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता है – NCERT
2. छात्रों के आकलन की पद्धति – Periodic, Mid Term, Annual) Assessment
3. क्या विद्यालय के छात्रों को वर्ग 8 के लिए बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है ? – No

ट. **प्रमाणित** किया जाता है कि विद्यालय द्वारा सूचनाओं को जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डायस) में भी समर्पित किया गया है।

ठ. **प्रमाणित** किया जाता है कि विद्यालय किसी भी पदाधिकारी, राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, से निरीक्षण के लिए तैयार है।

ड. **प्रमाणित** किया जाता है कि विद्यालय मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा समय–समय पर मांगे जाने वाले प्रतिवेदन एवं सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा, उसका अनुपालन कर विद्यालय की मान्यता के निर्धारित मापदंड को पूरा करने एवं विद्यालय के क्रियाकलाप कमियों को दूर करने हेतु निरंतर प्रयास करेगा।

ढ. **प्रमाणित** किया जाता है कि विद्यालय द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवश्याक अभिलेख वैसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और विद्यालय उन सभी सूचनाओं को उपलब्ध करायेगा, जिससे केन्द्र/स्थानिय निकाय या प्रशासन को संसद/राज्य के विधान सभा/पंचायत/नगर निगम (जो भी लागु हो) के प्रति जवाबदेही को निर्वहन करने में सक्षम होगा।

ह०/–

प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/व्यवस्थापक

Manager

Crescent Public School

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

WELFARE STAMP

बिहार BIHAR

RUPEES FIFTEEN

बिहार BIHAR

690091

Md. Ma...
S.V., K...
Licence No: 06/99/KSG

31 MAY 2019

Before,

The SDM/Executive Magistrate, Kishanganj

An Affidavit No. 1459 ..19, dated 13.06.2019

I, Gholam Shahid, s/o Badruddin Ahmed, resident of CPS Road, Sir Syed Nagar, Kishanganj (Bihar) do hereby solemnly swear as follows:

1. That I am an Indian citizen and a permanent resident of the above noted address;
2. That I am the chairman of Crescent Education And Welfare Trust, Kishanganj;
3. That Crescent Education And Welfare Trust is registered under article 30(1) vide Regn.No1065dated 7th of February 2001.
4. That Crescent Education And Welfare Trust is non proprietary in nature.

Contd. To page 02

Contd. From page 01

5. That Crescent Education And Welfare Trust is managed by board of Trustees;
6. That no member of the board of Trustees is blood related to any other member;
7. That Crescent Public School, Sir Syed Nagar, Kishanganj is run and managed under and by Crescent Education And Welfare Trust:
8. That the trust has constituted a School Managing Committee (SMC) to look after the day-to-day affairs of the said school.
9. That no member of the SMC is blood related to any other member;

That the statements made above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Verified this on the 12th day of June 2019 at .... campus, Kishanganj. He is duly identified by MD ABUL LAIS SHAD *Advocate, Kishanganj.*

Gholam Shahid

Deponent

Identified by

Md Abul Lais shad

Advocate, Kishanganj 14.06.2019

Md. Abul Lais Shad
(ADVOCATE)
Enrl.No.-3604/1995
Mobile No.-9431423187

....

SDM/Executive Magistrate, Kishanganj

Date: अनुमण्डल दण्डाधिकारी 2019
किशनगंज

DISTRICT BAR ASSOCIATION, KISHANGANJ

क्रम सं0 A/2019 - 4910

बिहार शिक्षा परियोजना
रूईधासा, किशनगंज
फोन– 06456-223001
ई–मेल : dpossabep@gmail.com

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

Bihar Education Project
Ruidhasa, Kishanganj
Phone- 06456-223001
E-mail : dpossabep@gmail.com

पत्रांक 1460 | दिनांक 28.11.19

प्रेषकः अजित कुमार शर्मा,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा अभियान,
किशनगंज।

सेवा में, अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,
क्रेसेन्ट पब्लिक स्कूल, सर सैयद नगर, किशनगंज
जिला–किशनगंज।

विषयः बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र सं0 SSA-2471 दिनांक 26-08-19 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय क्रेसेन्ट पब्लिक स्कूल, सर सैयद नगर, किशनगंज कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 2018 से 2021 तक के अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तों के अनुपालन के अधीन होगी–

1. किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्त्ति की जाएगी। प्रतिपूर्त्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:

i . किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न हीं किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

ii . किसी भी बच्चा को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

iii . किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

vii. शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 कीं उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

viii. शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं में निम्न बिन्दुओं पर तीन वर्षों के भीतर सुधार किया जाना अपेक्षित है–

i . विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल,

ii . कुल निर्मित क्षेत्र,

iii . खेल के मैदान का क्षेत्र,

iv. वर्गकक्षों की कुल संख्या,

v. प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष,

v. बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय,

vi. पेयजल की सुविधा,

vii. मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर,

viii. बाधारहित पहुँच,

viii. शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय।

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, किशनगंज को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड सं0 1821010 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समय–समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

28/1/19

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा अभियान
किशनगंज